न्यायालय उप[illegible] के0 राम यादव (आर0एच0एस0)
पीठासीन अधिकारी

तारीख फैसला
१९।३।२०

मुकदमा नम्बर
394/2019

तारीख दायर
20.11.2019

उनवान

01. मैसर्स ए0वी0एस0 कान्ट्रैक्टर्स प्रा0लि0, 90/33 द्वितीय फ्लोर, ओखला फेस–प्रथम, नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विनोद कुमार मितल पुत्र श्री त्रिलोकचन्द मितल जाति महाजन निवासी मकान नं0 355, सैक्टर – 9 फरीदाबाद (हरि0)
02. शरीफ
03. हमीदा
04. मजीदा
05. सहजू पुत्रान श्री कमला
06. खातूनी पत्नी श्री सहीद
07. अरसद
08. अब्बास
09. सलीम
10. नसीम पुत्रान श्री सहीद
11. रसमीना पुत्री सहीद
12. बरीशा पत्नी श्री मकसूद
13. माजिद
14. जाबिर
15. जेदर नाबालिगान पुत्रान मकसूद जरिये वलीसरपरस्त माता बरीशा जातियान मेव निवासीगण ग्राम चावण्डीखुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: वादीगण

बनाम

01. युद्धवीर पुत्र धर्मसिंह जाति जाट मकान नं0 316/1, लाजपत नगर, न्यू रेलवे रोड़ गुडगावां
02. नवीन गुप्ता पुत्र श्री आर. गुप्ता जाति महाजन निवासी मकान नं0 331/1 लाजपत नगर, न्यू रेलवे रोड गुडगावां
03. सुबेसिंह पुत्र श्री चाव खां
04. निजामुदीन पुत्र श्री सुबे खॉ जातियान मेव निवासीगण ग्राम चावण्डी खुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर
05. आसीन पुत्र श्री सुरजमल जाति मेव निवासी ग्राम नानगहेडी तहसील तिजारा जिला अलवर
06. मनोज गुप्ता पुत्र श्री देवेन्द्र प्रताप गुप्ता निवासी आशियाना बगीचा, भिवाडी तहसील तिजारा जिला अलवर
07. राज0 सरकार जरिये पैरोकार लैण्ड होल्डर श्रीमान् तहसीलदार, भूमिधारी अधिकारी तिजारा जिला अलवर

------:: प्रतिवादीगण

निर्णय :-

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने यह दावा तकासमा मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी संख्या 1 कम्पनी, मैसर्स ए0वी0एस0 कान्ट्रैक्टर्स प्रा0लि0, 90/33 द्वितीय फ्लोर, ओखला फेस–प्रथम, नई दिल्ली के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा उक्त प्रकरण में पैरवी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। वादी विनोद कुमार मित्तल को उक्त प्रकरण में वर्णित आराजी के समस्त किया कलापों की पूर्ण जानकारी है और मिन वादी विनोद कुमार मित्तल के हस्ताक्षरों के वाद पत्र पेश किया गया है। हाल आराजी खसरा नम्बर 542/241 रकबा 0.1692 है0 वाके ग्राम चावण्डीखुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित है। जो इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबन्दी संवत् 2069 लगायत 2072 संलग्न वाद पत्र है। विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की संयुक्त/शामलात कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी में वादी संख्या 1 कम्पनी का 0.0054 है0 व वादीगण संख्या 2 लगायत 15 का 0.0806 है हिस्सा निहित व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा निहित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त का अंकन दर्ज रिकार्ड है। वादीगण कम्पनी व प्रतिवादीगण ने आपस में सहमति से आराजी का मौखिक तौर पर बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार विवादित आराजी में वादी संख्या 1 कम्पनी अपने 0.0054 है0 व वादीगण संख्या 1 लगायत 15 अपने 0.0806 है0 भाग पर तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 मुताबिक जमाबन्दी अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है। मात्र राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में शामलात का अंकन है। विवादित आराजी का सहखातेदारान के मध्य कोई लिखित में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा नहीं हुआ है। सहखातेदारान मुताबिक जमाबन्दी अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। अब प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के मन में बदयान्ती आ गई और आये रोज वादीगण के हिस्से में मजाहमत व मदाखलत पैदा करते है, बेदखल करने पर आमादा रहते है तथा आराजी को लिखित में बंटवारा कराये बिना आराजी को किसी दीगर जगह बेचान करने पर आमदा है, जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई कानूनन हक व अधिकार हासिल नहीं है। प्रतिवादीगण, वादीगण के काश्तकारी अधिकारों को कुचलने के प्रयास में है। जिस कारण वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ शामलात रिकार्ड में काश्त करना दुर्भर हो गया। इसलिए विवादित आराजी में से 0.0054 है0 वादी संख्या 01 कम्पनी का तथा 0.0806 है0 वादीगण संख्या 1 लगायत 15 का है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा निहित है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज व दाखिल है तथा मौके पर वादीगण का अपने भाग की भूमि पर वास्तविक कब्जा है, का तकासमा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वादीगण करवाकर अलग से कुर्रेजात कायम कर व अलग से तितम्मा काटा जाकर, लगान, खाता पृथक कायम कराने के अधिकारी है। जिसके लिए दावा तकासमा दायर करना लाजिम आया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 तामील के उपरान्त अनुपस्थित रहे। अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 7 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः

किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान की बहस पर ... 2020 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तिजारा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलब की गई। प्रकरण में वादी ने पुनः बटवारा स्कीम तलब करने का निवेदन किया गया। प्रकरण में पुनः तहसीलदार तिजारा को अहकाम जारी कर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु आदेश जारी किये गये।

चूंकि तहसीलदार तिजारा ने अपने पत्र के द्वारा प्रकरण में कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादी फाईनल डिक्री किया जाता है निम्न अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 542/241 रकबा 0.1692 है0 वाके ग्राम चावण्डीखुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
01.	मैसर्स ऐ0वी0एस0 कान्ट्रेक्टर्स प्रा0लि0, 90/33 द्वितीय फ्लोर, ओखला फेस–प्रथम, नई दिल्ली 0.0054 है0 सरीफ हमीदा मजीदा सहजू पि0 कमला 4/5 हि0 खातुनी पत्नी व अरसद अब्बास सलीम नसीम पुत्रान व रसमीना पुत्र सहीद स.भा. 6/35 हि0 बरीशा पत्नी व माजिद जाबिर जैद नाबालिग पुत्रान मकसूद वलीसरपरस्त माता बरीशा स.भा. 1/35 दर 0.0806 है0 मेव देह खातेदार	542/241/1	0.0860
02.	सुबेखां पुत्र चावखां 0.0161 है0 मिजामुदीन पुत्र सुबेखां 0.0156 है0 जाति मेव सा. देह खातेदार	542/241/2	0.0317
03.	युद्ववीर पुत्र धर्मसिंह जाति जाट नि. मकान नं. 316/1 नवीन गुप्ता पुत्र टी.आर. गुप्ता जाति महाजन नि. म.न. 331/1 लाजपत नगर न्यू रेलवे रोड गुडगावां रामनारायण पुत्र प्रभातीलाल यादव जाति अहीर म.न. ए132 न्यू पालम बिहार फेस 2 गुडगावां हरि0 स0भा0 0.0327 है0 आसीन पुत्र सूरजमल जाति मेव सा0 नानगहेडी 0.0027 है0 मनोज गुप्ता पुत्र देवेन्द्र प्रताप गुप्ता जाति महाजन नि0 सी0 142 आशियाना बगीचा भिवाडी 0.0161 है0 खातेदार	542/241/3	0.0515

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)